इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 6 जनवरी 2015—पौष 16, शक 1936

जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2015

क्र. एफ. 22-68-2014-पी-1-इकत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (राजपत्रित) भरती नियम, 1968 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, विद्यमान नियम ९ के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(1) "9 सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्ते.—

चयन के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी अर्थात्:—

क. आयु—

- (एक) न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार होगी. आयु की संगणना विज्ञापन की तारीख से आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को की जाएगी.
- (दो) उच्चतर आयु सीमा नीचे दिए गए अनुसार शिथिलनीय होगी:—
 - (क) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र के अनुसार मध्यप्रदेश शासन और राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारियों, स्वशासी निकायों, क्रियान्वयन परियोजना समितियों, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा कार्यभारित कर्मचारियों को शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा;

- (ख) मध्यप्रदेश मूल के अनुसूचित जाित, अनुसूचित जनजाित और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाित, अनुसूचित जनजाित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 9 के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा;
- (ग) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (मिहलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार मध्यप्रदेश मूल की मिहला अभ्यर्थियों को शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा;
- (घ) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य सिविल सेवा और तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पदों की रिक्तियों में आरक्षण), नियम, 1985 के नियम 5 के अनुसार मध्यप्रदेश के मूल निवासी, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा;
- (ङ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार निम्नलिखित वर्गों के लिये शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा;
 - (एक) विधवा/निराश्रित महिला/तलाकशुदा महिला;
 - (दो) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति;
 - (तीन) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक;
 - (चार) विक्रम पुरस्कार से पुरस्कृत खिलाड़ी;
 - (पांच) अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति-पत्नी;
 - (छह) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य प्रवर्ग.
- टिप्पणी.—(1) किसी वर्ग के लिये समस्त शिथिलीकरण सम्मिलित करते हुए अधिकतम आयु सीमा, किसी भी दशा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियम 45 वर्ष की उच्चतर आयु सीमा से अधिक नहीं होगी.
- (2) उच्चतर आयु सीमा की संगणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-11/12/13, दिनांक 3-11-2014 और 20-11-2012 के अनुसार होगी.
 - (ख) **शैक्षणिक अर्हताएं.**—अभ्यर्थी के पास अनुसूची तीन के कॉलम (5) के अधीन विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए.
 - (ग) फीस.—अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.
- 2. विद्यमान अनुसूची तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''अनुसूची तीन (नियम 8 देखिए)

विभाग का ना	म सेवा तथा पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	उच्चतर आयु सीमा (4)	शैक्षणिक अर्हता (5)
जल संसाधन विभाग	ा सहायक यंत्री (सिविल)	18	40	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता.'' पत्राचार द्वारा प्राप्त उपाधि स्वीकार्य नहीं होगी. समतुल्य योग्यता:— ए.एम.आई.ई. (इन्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स कलकत्ता). (इंडिया).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	सहायक यंत्री (विद्युत्/यांत्रिकी)	18	40	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से (विद्युत्/यांत्रिकी) इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा उसके समकक्ष अ पत्राचार द्वारा प्राप्त उपाधि स्वीकार्य नहीं होगी. समतुल्य योग्यताः— ए.एम.आई.ई. (इन्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स कल

Bhopal, the 6th January 2015

No.F 22-68-2014-P-1/XXXI. In the exercise of power conferred by proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Water Resources Engineering and Geological Service (Gazetted) Rules, 1968, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, for the existing rule 9, the following rule shall be substituted, namely:—

1. "9. Conditions for eligibility of direct recruitment.—

In order to be eligible for a selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

A. Age.—

- (i) Minimum and maximum age limit shall be in accordance with the notifications issued by General Administration Department from time to time. Age shall be calculated on the first day of January of next following the date of advertisement.
- (ii) The Upper age limit shall be relaxable as under :-
 - (a) Relaxation shall be admissible to employees of Government of Madhya Pradesh and State Corporations/ Board, Autonomous Bodies, employees working in Project Implementation Committees, Contingency paid employees and Work charged employees as per circulars issued from time to time by General Administration Department, Government of Madhya Pradesh;
 - (b) Relaxation shall be admissible to native candidates of Madhya Pradesh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward classes as per circulars issued from time to time by General Administration Department, Government of Madhya Pradesh under section 9 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jati, Anusuchit Jan Jati Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994.(No.21 of 1994);
 - (c) Relaxation shall be admissible to native Women candidates of Madhya Pradesh as per Madhya Pradesh Civil Service (Special provision for Appointment of Women) Rule, 1997;
 - (d) Relaxation shall be admissible to the ex-servicemen of natives candidates's of Madhya Pradesh as per rule 5 of Madhya Pradesh Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the State Civil Services and Posts Class III and Class IV) Rule, 1985;

- (e) Relaxation shall be admissible to the following classes as per circulars issued from time to time by General Administration Department of Madhya Pradesh Government:—
 - (i) Widow / Destitute Woman/ Divorcee woman;
 - (ii) Physically handicapped person;
 - (iii) Green Card holder under Family Planning programme;
 - (iv) Vikram Prize awarded player;
 - (v) Awarded Superior Caste partner of a couple under the Inter Caste Marriage incentive programme;
 - (vi) Other Categories specified by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.
- **Note:** (1) In any case, maximum age limit including all relaxations for any class shall not exceed the maximum age limit 45 year fixed by the General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.
 - (2) The calculation of the upper age limit shall be as per the General Administration Department's Circular No.C-3-11/12/1/3 Dated 03-11-2014 and 20-11-2012
 - B. **Educational qualification.**—Candidates must possess the educational qualifications prescribed under column (5) of Schedule III.
 - C. Fee.—Candidates Must have to pay the fees prescribed by the Commission.".
 - 2. For the existing Schedule III, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE III (See rule 8)

Name of Department (1)	Name of Service and Post (2)	Minimum Age Limit (3)	Upper Age Limit (4)	Educational Qualification (5)
Water Resources Department	Assistant Engineer (Civil)	18	40	A Degree in Civil Engineering or its equivalent qualification from recognised University. Degree obtained by correspondence shall not be acceptable. Equivalent Qualification: -A.M.I.E. (Institution of Engineers Kolkata,India)
. (Assistant Engineer Electrical/Mechanical)	18	40	A Degree in Electrical/ Mechanical. Engineering or its equivalent qualification from recognised University. Degree obtained by correspondence shall not be acceptable. Equivalent Qualification:-A.M.1.E. (Institution of Engineers Kolkata,India).".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. चौकसे, उपसचिव.